प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट

Scene Of Crime Officer (SOCO)

दिनांक 08-06-2026 to 02-07-2026

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक **08-06-2026 to 02-07-2026** तक "Scene Of Crime Officer (SOCO)" विषय पर पच्चीस दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम लेक्चर थियेटर में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से जिसमें 05 हैड कानिस्टेबल एवं 92 कानिस्टेबल स्तर के अधिकारियों ने कुल **97** प्रतिभागियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिन श्रीमान शंकर दत्त शर्मा, उप महानिरीक्षक पुलिस एवं अतिरिक्त निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर एवं डॉ. राखी अग्रवाल प्रोफेसर, **NFSU** जयपुर द्वारा कोर्स का शुभारम्भ करवाया गया एवं धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक कोर्स डायरेक्टर आरपीए, जयपुर द्वारा कोर्स का परिचय करवाया गया।

दिनांक **08-06-2026** को प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम सप्ताह के प्रथम दिन द्वितीय सत्र में श्री कमलेश पंकज, **SSO**, प्रभारी, मोबाइल फोरेंसिक यूनिट, जयपुर शहर ने अपराध स्थल के स्केच बनाने का व्यावहारिक अभ्यास के बारे में समझाया। तृतीय सत्र व चतुर्थ सत्र में डॉ. मुकेश शर्मा, असिस्टेंट डायरेक्टर (फिजिक्स) एफएसएल, जयपुर ने क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का इतिहास और बेसिक थ्योरी (जैसे लोकार्ड की थ्योरी, सबूतों का इस्तेमाल, क्राइम सीन की परिभाषा) क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर की भूमिका और प्रतिक्रिया (जैसे सुरक्षा, सिक्योरिटी, सीन लॉग, कानूनी पहलू) क्राइम सीन से पहले, उसके दौरान और उसके बाद की जिम्मेदारियां; सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्टिंग और गवाही के बारे में बताया गया।

दिनांक **09-06-2026** को प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम सप्ताह के द्वितीय दिन प्रथम व द्वितीय सत्र में डॉ. मुकेश शर्मा, असिस्टेंट डायरेक्टर (फिजिक्स) एफएसएल, जयपुर ने **BPR&D** द्वारा निर्धारित

SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) शुरुआती प्रतिक्रिया और घटनास्थल पर पहुँचना। घटनास्थल पर सबसे पहले पहुँचने वालों (**first responders)** के कर्तव्यों के बारे में बताया गया। घटनास्थल की सुरक्षा/अखंडता/ घटनास्थल को अलग-थलग करना, तलाशी के तरीके व ब्रीफिंग की जानकारी देना। तृतीय सत्र व चतुर्थ सत्र में श्री हरि सिंह**, SSO, (**फ़ोटो डिवीज़न) एफएसएल**,** जयपुर ने क्राइम सीन (अपराध स्थल) का डॉक्यूमेंटेशन-फोटोग्राफी**,** वीडियोग्राफी**,** स्केचिंग और नोट्स रिकॉर्ड करना। प्रोसेसिंग के चरण और समय-सीमा, क्राइम सीन के उपकरण और लॉग्स के बारे में बताया। प्रैक्टिकल अभ्यास-क्राइम सीन का स्केच बनाने के बारे में बताया गया।

दिनांक **10-06-2026** को प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम सप्ताह के तृतीय दिन प्रथम व द्वितीय सत्र में श्री शिवलाल धाकड़**, SSO** मोबाइल फोरेंसिक एफएसएल**,** जयपुर ने फोरेंसिक फोटोग्राफी के सिद्धांत**,** क्राइम सीन फोटोग्राफी के प्रकार**,** फोटोग्राफी की ज़रूरत और महत्व के बारे में समझाया गया। शटर स्पीड**, f-** स्टॉप और **ISO** को एडजस्ट करना**,** क्राइम सीन फोटोग्राफ का कंपोजिशन और क्रम**;** फांसी**,** गला घोंटने**,** डूबने**,** सड़क दुर्घटना आदि मामलों में खास फोटोग्राफी तकनीकी के बारे में समझाया गया। तृतीय सत्र व चतुर्थ सत्र में स्केचिंग के प्रकार और तरीके**, NCL** में क्राइम सीन स्केचिंग का महत्व**, NCL** क्राइम सीन स्केच के प्रकार और हिस्से**, NCL** स्केचिंग में इस्तेमाल होने वाले टूल्स**,** तकनीकें और स्टैंडर्ड**,** माप की ज़रूरतें और माप के उपकरण के बारे में बताया गया। क्राइम सीन की स्केचिंग**;** क्राइम सीन के बारे में नोट्स बनाना और दस्तावेजीकरण के बारे में बताया।

दिनांक **11-06-2026** को प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम सप्ताह के चतुर्थ दिन प्रथम व द्वितीय सत्र में श्री राजेंद्र शर्मा, रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर, फिंगरप्रिंट ब्यूरो ने स्केच की कम से कम ज़रूरतें, माप की ज़रूरतें, मापने के उपकरण और डॉक्यूमेंटेशन के तरीके, टोटल स्टेशन और 3D स्कैनिंग की समीक्षा और NCL में क्राइम सीन स्केचिंग का महत्व समझाया गया। तृतीय सत्र व चतुर्थ सत्र में NCL क्राइम सीन स्केच के प्रकार और हिस्से, NCL स्केचिंग में इस्तेमाल होने वाले टूल्स, तकनीकें और स्टैंडर्ड्स के बारे में समझाया गया। क्राइम सीन का स्केच बनाकर बताया गया।

दिनांक **12-06-2026** को प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम सप्ताह के पंचम दिन प्रथम व द्वितीय सत्र में श्री डूंगर राम गोदारा**,** उप-निदेशक (सेवानिवृत्त) (रसायन विभाग) ने आगजनी के मामलों /आग लगने की घटनाओं का विवरण, एसिड फेंकने के मामले, आग के प्रकार और आगजनी के संकेत**,** बिजली का झटका लगने और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं-पुलिस की जिम्मेदारियां, घटनास्थल पर खतरे के बारे में समझाया गया। आग/बिजली का झटका लगने की जगहों पर पुलिस के सुरक्षा उपाय के बारे में बताया। घटनास्थल को सुरक्षित रखना-लोगों के आने-जाने पर रोक, सबूतों को खराब होने से बचाना, फायर ब्रिगेड के साथ तालमेल; आगजनी/आग लगने की जगहों की फोटोग्राफी धुएं और जलने के निशानों को रिकॉर्ड करना के बारे में बताया गया।

दिनांक **15-06-2026** को प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वितीय सप्ताह के प्रथम दिन प्रथम व द्वितीय सत्र में श्री विनय शर्मा, SSO (रसायन विज्ञान) एफएसएल, जयपुर ने सुरक्षा उपाय ब्लास्ट से पहले और बाद की स्थिति, ब्लास्ट में इस्तेमाल होने वाले केमिकल और घटनास्थल पर उनकी पहचान**,** फोरेंसिक और बम डिस्पोजल टीमों के साथ तालमेल, ब्लास्ट केस की डॉक्यूमेंटेशन, सबूत इकट्ठा करना और फोटोग्राफी के बारे में बताया गया। तृतीय सत्र व चतुर्थ सत्र में ब्लास्ट की घटनाओं में घटनास्थल की सुरक्षा और घेराबंदी; विस्फोटक/केमिकल मामलों में सबूतों की पहचान और उन्हें बरामद करना । ब्लास्ट केस के घटनास्थल की जांच के बारे में समझाया।

दिनांक **16-06-2026** को प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वितीय सप्ताह के द्वितीय दिन प्रथम व द्वितीय सत्र में डॉ. विकास कुमार, असिस्टेंट डायरेक्टर (साइबर फोरेंसिक) एफएसएल, जयपुर ने क्राइम सीन पर डिजिटल सबूत के बारे में बताया। डिजिटल सबूत के प्रकार - कंप्यूटर, मोबाइल, CCTV/DVR, क्लाउड डेटा, IoT डिवाइस,

स्टोरेज मीडिया, गाड़ी के सिस्टम। आम शब्दों का मतलब - बिटस्ट्रीम, हैशिंग, एन्क्रिप्शन, मेटाडेटा, IMEI, IP एड्रेस, MAC एड्रेस, वोलेटाइल बनाम नॉन-वोलेटाइल डेटा के बारे में बताया गया। डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखना - डेटा में बदलाव से बचना, डिवाइस को अलग करना, रिमोट वाइप (दूर से डेटा मिटाने) से रोकना, डिजिटल क्राइम सीन को सुरक्षित करना - एक्सेस पर रोक लगाना, छेड़छाड़ रोकना, वोलेटाइल डेटा को तेज़ी से कैप्चर करना। डिजिटल सबूतों का दस्तावेजीकरण के बारे में बताया। तृतीय सत्र व चतुर्थ सत्र में कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस, DVR, राउटर और स्टोरेज मीडिया को जब्त करना या इकट्ठा करने की प्रक्रिया के बारे में समझाया। पैकेजिंग के तरीके - फैराडे बैग, एंटी-स्टैटिक बैग, कुशनिंग, लेबलिंग और सीलिंग का इस्तेमाल करना, डिजिटल सबूतों की कस्टडी की चेन (Chain of Custody) – जानकारी दर्ज करना, सुरक्षित रूप से ले जाना और साइबर फोरेंसिक लैब में जमा करना। डिजिटल सबूतों को इकट्ठा करना और उनका डॉक्यूमेंटेशन करने के बारे में बताया गया।

दिनांक **18-06-2026** को प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वितीय सप्ताह के तृतीय दिन प्रथम व द्वितीय सत्र में डॉ. रमेश चौधरी, उप-निदेशक (दस्तावेज), एफएसएल, जयपुर ने पुलिस जांच में QD (Questioned Documents) का ओवरव्यू विवादित या संदिग्ध लिखावट/हस्ताक्षर स्वीकृत लिखावट/हस्ताक्षर; नमूने के तौर पर ली गई लिखावट/हस्ताक्षर (इन्हें कैसे और क्यों लिया जाता है) के बारे में समझाया गया। घटनास्थल से सुसाइड नोट, फटे हुए पत्र, मुड़े-तुड़े कागज़ और आंशिक रूप से जले हुए दस्तावेज इकट्ठा करना नाजुक दस्तावेज़ों (जले हुए, गीले, क्षतिग्रस्त) को संभालना; कागज़ के अलावा अन्य सतहों (जैसे दीवार, पत्थर, दरवाज़े, कांच आदि) पर लिखी चीज़ों का दस्तावेजीकरण QD के लिए घटनास्थल की फ़ोटोग्राफ़ी और नोट्स लेने के बारे में बताया गया। तृतीय सत्र व चतुर्थ सत्र में डॉ. राकेश अग्रवाल, सहायक निदेशक (दस्तावेज), एफएसएल, जयपुर ने संदिग्ध दस्तावेज़ों को सुरक्षित रूप से एकत्र करने की उचित तकनीकें: संदूषण, मोड़ने या दस्तावेजों की छाप में बदलाव से बचाव। पैकिंग विधियाँ: सुरक्षात्मक आवरण, कार्डबोर्ड सपोर्ट, साक्ष्य लिफाफे सील करना, लेबल लगाना और अभिरक्षा श्रृंखला, विश्लेषण के लिए संदिग्ध दस्तावेजों को फोरेंसिक प्रयोगशाला में भेजना। आंशिक रूप से जले हुए लिखित दस्तावेज का प्रलेखन और संग्रह की जांच के बारे में समझाया गया।

दिनांक **19-06-2026** को प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वितीय सप्ताह के चतुर्थ दिन प्रथम व द्वितीय सत्र में श्री आर.एस. शर्मा, अतिरिक्त निदेशक, (सेवानिवृत्त) एफएसएल ने गवाहियों की पुष्टि करने वाले लिंक बनाना: कोर्ट में केस को मजबूत करना, कागज के अलावा दूसरी सतहों (जैसे दीवार, पत्थर, दरवाज़े, कांच आदि) पर लिखी चीजों का दस्तावेजीकरण करना बताया गया। QD (क्वेश्चन्ड डॉक्यूमेंट) के लिए घटनास्थल की फोटोग्राफी और नोट्स लेने बारे में समझाया गया। तृतीय सत्र व चतुर्थ सत्र में जहरीले पदार्थों से जुड़े सबूतों की खोज, उन्हें इकट्ठा करना, सुरक्षित रखना और उनकी पैकेजिंग करने के बारे में बताया गया। घटनास्थल से सबूत इकट्ठा करने के बारे में समझाया गया।

दिनांक **22-06-2026** को प्रशिक्षण कार्यक्रम के तृतीय सप्ताह के प्रथम दिन प्रथम से तृतीय सत्र तक श्री विश्वास भारद्वाज सहायक निदेशक एफएसएल**,** जयपुर ने लेटेंट प्रिंट्स (अदृश्य निशानों) के सिद्धांत, घटनास्थल पर लेटेंट प्रिंट्स की खोज, नमूने इकट्ठा करने के लिए मैग्ना-पाउडर/ब्लैक पाउडर और स्मॉल पार्टिकल रिएजेंट (**SPR)** तरीके के बारे में बताया। साइनोएक्रिलेट (**Cyanoacrylate)** लेटेंट प्रिंट्स का सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन (रिकॉर्ड रखना) , टेन-प्रिंट (दस उंगलियों के निशान) और मेजर केस प्रिंट्स इकट्ठा करना, दिखाई देने वाले प्रिंट्स की खोज के बारे में समझाया गया। चतुर्थ सत्र में श्री सत्यवीर सिंह**,** पुलिस इंस्पेक्टर**, RPA,** जयपुर ने फील्ड में साइनोएक्रिलेट से प्रोसेसिंग करना बताया।

दिनांक **23-06-2026** को प्रशिक्षण कार्यक्रम के तृतीय सप्ताह के द्वितीय दिन प्रथम सत्र में डॉ. बैजू माथुर सहायक निदेशक**,** एफएसएल**,** जयपुर ने भौतिक साक्ष्य की भूमिका / ट्रेस एविडेंस (सूक्ष्म साक्ष्य) और आपराधिक जांच में इसका महत्व बताया। द्वितीय सत्र में श्री विश्वास भारद्वाज सहायक निदेशक एफएसएल**,** जयपुर ने नमूना इकट्ठा करने के उपकरण, शुरुआती जाँच (presumptive tests), नमूना इकट्ठा

करने के तरीके, जैविक सबूतों का दस्तावेज़ीकरण, नमूने की पैकेजिंग/स्टोरेज करना बताया। तृतीय सत्र व चतुर्थ सत्र में सुश्री यजुला गुप्ता, उप-निदेशक, टॉक्सिकोलॉजी एफएसएल, जयपुर ने नियंत्रित पदार्थ टॉक्सिकोलॉजी / टूल मार्क्स, संदिग्ध दस्तावेज के बारे में समझाया गया।

दिनांक **24-06-2026** को प्रशिक्षण कार्यक्रम के तृतीय सप्ताह के तृतीय दिन प्रथम से तृतीय सत्र तक श्रीमती गिनी कुमावत, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर डिवीज़न, एफएसएल, जयपुर ने DNA के स्रोत और DNA सबूत का महत्व, प्रकृति, संग्रह और संरक्षण, जैविक सबूत की खोज, टच DNA का परिचय: DNA को समझना, टच DNA के स्रोत: अपराध स्थल पर संभावित चीज़ों की पहचान, DNA के अन्य स्रोत, कास्टल-मेयर प्रिजम्पटिव टेस्ट: ल्यूमिनोल टेस्ट; बेंज़िडाइन टेस्ट के बारे में समझाया गया। चतुर्थ सत्र में श्री सत्यवीर सिंह, पुलिस इंस्पेक्टर, **RPA**, जयपुर ने **"DNA"** सैंपल का कलेक्शन, ब्लड कलेक्शन (गीला/सूखा) करना बताया।

दिनांक **25-06-2026** को प्रशिक्षण कार्यक्रम के तृतीय सप्ताह के चतुर्थ दिन प्रथम व द्वितीय सत्र में डॉ. अभिमन्यु हर्षे असिस्टेंट प्रोफेसर NFSU जयपुर ने ज़हर से जुड़े सबूतों की खोज, उन्हें इकट्ठा करना, सुरक्षित रखना और उनकी पैकेजिंग, ज़हर का पता लगाना और उसकी पहचान करना, मौत या नुकसान की वजह का पता लगाना, कानूनी कार्यवाही में मदद करना, केस स्टडी का विश्लेषण - जहर देने के असल मामलों की जांच-पड़ताल करने के बारे में बताया गया। तृतीय सत्र व चतुर्थ सत्र में डॉ. सुमित जाखड़, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, एफएसएल, जयपुर ने घटनास्थल को सुरक्षित करना, हथियारों का दस्तावेजीकरण, सबूत इकट्ठा करना, कस्टडी की चेन और स्टोरेज, संदिग्ध को अपराध स्थल से जोड़ना, अपराध को फिर से समझना, कानूनी कार्यवाही में मदद करना, केस स्टडीज सुलझाए गए मामलों की समीक्षा करने के बारे में बताया गया।

दिनांक **29-06-2026** को प्रशिक्षण कार्यक्रम के चतुर्थ सप्ताह के प्रथम दिन प्रथम सत्र में श्री नरेंद्र कुमार चाहर सहायक प्रोफेसर एफएसएल, जयपुर ने अपराध स्थल पर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सबूत के बारे में समझाया गया। द्वितीय सत्र व तृतीय सत्र में श्रीमती माया कुमावत, पुलिस निरीक्षक, आरपीए, जयपुर ने लेटेंट प्रिंट्स के सिद्धांत, घटनास्थल पर लेटेंट प्रिंट्स की खोज, इकट्ठा करने के लिए मैग्ना-पाउडर/ब्लैक पाउडर तरीके, स्मॉल पार्टिकल रिएजेंट,साइनोएक्रिलेट लेटेंट प्रिंट्स का सही डॉक्यूमेंटेशन , टेन-प्रिंट और मेजर केस प्रिंट्स इकट्ठा करने के बारे में समझाया गया। चतुर्थ सत्र में डॉ श्रीराम यादव सहायक निदेशक, एफएसएल, जयपुर ने फील्ड में साइनोएक्रिलेट का इस्तेमाल करके फिंगरप्रिंट्स को उभारना और प्रोसेस करने के बारे में समझाया गया।

दिनांक **30-06-2026** को प्रशिक्षण कार्यक्रम के चतुर्थ सप्ताह के द्वितीय दिन प्रथम सत्र में सुश्री यजुला गुप्ता, उप-निदेशक, टॉक्सिकोलॉजी एफएसएल, जयपुर ने जहर का पता लगाना और पहचान करना, मौत या नुकसान की वजह का पता लगाना, कानूनी कार्यवाही में मदद करना, केस स्टडी, असल ज़िंदगी में जहर से जुड़े मामलों का विश्लेषण और जांच में इसका महत्व बताया। द्वितीय सत्र व तृतीय सत्र में डॉ. प्रशांत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, NFSU जयपुर ने आग्नेयास्त्र (firearms) से जुड़े सबूतों के प्रकार, आग्नेयास्त्र से लगी चोटें और उनकी व्याख्या ऑडियो सबूत, ऑडियो की जांच की प्रक्रिया, केस स्टडीज़ के बारे में समझाया गया। चतुर्थ सत्र में डॉ. बैजू माथुर सहायक निदेशक, एफएसएल, जयपुर ने संदिग्धों को अपराध-स्थल से जोड़ना, पीड़ितों और संदिग्धों की पहचान मामले के समर्थन में सबूत और कोर्ट में प्रस्तुति के बारे में समझाया गया।

दिनांक **01-07-2026** को प्रशिक्षण कार्यक्रम के चतुर्थ सप्ताह के तृतीय दिन में NFSU जयपुर का भ्रमण करवाया गया। दिनांक **02-07-2026** को प्रशिक्षण कार्यक्रम के चतुर्थ सप्ताह के चतुर्थ दिन में कोर्स का समापन समारोह NFSU जयपुर में किया गया। कोर्स के समापन में मुख्य अतिथि श्रीमती के. बी. वंदना, पुलिस महानिरीक्षक, सी.आई.डी. (क्राइम ब्रांच), जयपुर एवं श्री राजेश कुमार यादव उप निदेशक एवं प्राचार्य आरपीए, जयपुर द्वारा प्रतिभागियों से कोर्स से सम्बन्धित विषय पर चर्चा की। जिनके द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण

पत्र वितरित किये गये। समापन सत्र में प्रतिभागियों से फीडबैक प्राप्त किया गया। समापन सत्र के अन्त में श्री पूनम चन्द विश्नोई, सहायक निदेशक (सीडीपीएसएम), आरपीए जयपुर एवं कोर्स डायरेक्टर द्वारा कोर्स का धन्यवाद ज्ञापित कर कोर्स का विधिवत समापन किया गया ।

हस्ताक्षर
कोर्स निदेशक